

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2.—वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 रान् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिविष्ट में दर्शये गये क्षेत्र को हुक्का (सोन चिररेया) (प्रेट इंडियन बस्टर), तथा वन्य प्राणियों के लिये अभ्यारण्य घोषित करता हैः—

परिविष्ट

जिला—शिवपुरी

वन मंडल—शिवपुरी

रेख का नाम—करेरा

अभ्यारण्य का नाम—

सोन चिररेया (हुक्का) (प्रेट इंडियन बस्टर) अभ्यारण्य,
करेरा.

क्षेत्र का रेकेवा—

202.21 वर्ग किलोमीटर या
20221.042 हेक्टेयर.

सीमा

*उद्देश्य—राजस्व ग्राम-रागपहाड़ी सुनारी, भैसा एवं दोनों की
सीमा.

पूर्व—महावर नदी.

दक्षिण—राजस्व ग्राम-संगुरी, हाजीनगर की सीमा एवं
महावर नदी.

परिविष्ट—राजस्व ग्राम-कुठोली, गधाई, करही नैनापिर,
वरेआ, एवं वहगवा की सीमा एवं सिंध नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव:

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के संहेद (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-16-75-दग-2, दिनांक 21 मई 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राप्तिकार से एवं द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya

Pradesh Government hereby declare the area specified in schedule below as game sanctuary under the Act for the Great Indian Bustard and other Wild Life in the said sanctuary:—

SCHEDULE

District—Shivpuri

Name of Division—Shivpuri

Name of Range—Karera

Name of sanctuary—Great Indian Bustard
Sanctuary KareraArea—202.21 sq. km. or 20221.042 Hectares
Boundaries

North—Boundary of Revenue village Ram-Pahari, Sunari, Bhensa and Doni.

East—Mahwar river.

South—Boundary of Revenue village Languri Hajinagar and Mahwar river.

West—Boundary of Revenue village Khutili, Gadhai, Karahi, Nainagiri, Baraua Beh-gawa and Sindh river.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दग-2—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 रान् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिविष्ट में दर्शये गये को हुक्का (प्रेट इंडियन बस्टर), तथा अन्य प्राणियों के लिये अभ्यारण्य घोषित करता हैः—

परिविष्ट

जिला—खालियर

वन मंडल का नाम—खालियर

अभ्यारण्य का नाम—

क्षेत्र का रेक्वा—

आरोपित वन—

रक्षित वन—

प्राटीपाल हुक्का पक्षी अभ्यारण्य

512 वर्ग किलोमीटर

307.49 वर्ग कि. मी.

19.84 वर्ग कि. मी.

सीमा

Boundaries

उत्तर.—जिसा मुरेना की सीमा.

पूर्व.—कमार्टमेंट नंबर 359 व 360 के अन्दर कृत्रिम रेखा, तिघरा बांध तक, तिघरा गवातियर पी. डब्ल्यू. डी मार्ग, आगरा बास्बे मार्ग तक.

दक्षिण.—आगरा बास्बे मार्ग, घाटीगांव तक.

पश्चिम.—घाटीगांव बंसोटा वन मार्ग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. बोक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 गई 1981

क. 15-16-75-दा-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के बनुसारण में इस विभाग की अधिसूचना क. 15-6-75-दा-द, दिनांक 21 गई 1981 का अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. बोक, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the area specified in schedule below as game sanctuary under the Act for (Hukna) Great Indian Bustard and other animals and birds in the said sanctuary:—

Schedule

District—Gwalior

Name of division—Gwalior

Name of sanctuary—Ghatigaon Hukna (G.I.B.)

Sanctuary

Total area—512 sq. kilometres

R.F.—307.49 sq. km.

P.F.—19.84 sq. km.

North.—District Morena Boundary.

East.—Cut line inside constt. No. 359 and 36 up to Tighra Dam; Tighra Gwali P.W.D. Road up to Agra-Bombay Road.

South.—Agra-Bombay Road up to Ghatigaon.

West.—Ghatigaon-Basota Forest Road.

By order and in the name of Governor of the

Madhya Pradesh,

M. J. OKA, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 19 गई 1981।

क. 5950-1490-ग्यारह-स.—इण्डियन बायर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, ओरियन्ट पोर गिल्ट, अगलाई के वायदरों को उनके सामने बंदित जर्मीन के लिये निम्नतिथित शर्तों पर उत्तर अधिनियम की धारा 6(सी) के उपर्योग के प्रवर्द्धन से-छूट देता है:—

बायलर चक्रमांक

(1)

एम. पी. 3172

छूट की अवधि

(2)

4-6-81 से 3-8-81 तक

एग. पी. 3173

4-6-81 से 3-8-81 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर वे पहुंचने वाली किरी भी हाजि की रूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(j) की आदेशानुसार तत्काल बायलर मुख्य नियंत्रक मध्यप्रदेश इन्डियन को दी जावेगी एवं दूर्घटना होने के दिनांक से छूट की मात्रता रामाया रामझी जावेगी।

(2) उत्तरुक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की आदेशानुसार मुख्य नियंत्रक, वाण यंत्र, मध्यप्रदेश के पूर्वन्देश के दिना संदर्भाधीन बायलर में किनी प्रकार द्वा गंगनालालक परिवर्तन, परिवर्तनी राज्य नवीनीकारण नहीं किया जावेगा।

(12)

भीपाल, दिनांक ३१ मई क्रम ३

३० २५-१६-७५-ल्स-३ अन्य प्राप्ति (संरक्षण) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक ५३ एवं १९७२) की घारा की उपचारा (१) घारा प्रदत्त गणकारौ के अनुसार
के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे प्रिशिष्ट में दर्शाये गये की हुना (गोट इंडियन बस्टर)
तथा अन्य पशु पक्षियों के लिए अन्यारण्य प्रोष्ठात करता है।

प्रिशिष्ट

जिला - ग्वालियर

वन मंडल का नाम - ग्वालियर

अन्यारण्य का नाम

कौत्र का रक्खा -

बारकिंत वन -

रक्खित वन -

उचर -

पूर्व -

दक्षिण -

पश्चिम -

घाटीगांव हुना पहाड़ी अन्यारण्य

५९२ वर्ग किलोमीटर

३०७ ४६ वर्ग किलोमीटर

१६ ८४ वर्ग किलोमीटर

सीमा

जिला मुरैना की सीमा

अम्पाटपैन्ड नंबर ३५४ व ३६० के अन्दर कुनिप से
तिथरा बाघ तक, तिथरा ग्वालियर

पी० डक्कूडी मार्ग, बागरा बोम्बे मार्ग तक

बागरा बोम्बे मार्ग, घाटीगांव तक

घाटीगांव ज्योटा वन मार्ग


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा बांकीशास्त्रार,

एवं जै बीक, उपसचिव

(मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक १२ जून क्रम १ पुष्ट क्र १९८५ पर प्राप्ति)

(115)

Ghatgum wls



डाक-व्यय की पूर्व-अदायारी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमति-पत्र
क्र. शोपात-505/ डब्ल्यू. फी.

पंजी क्रमांक शोपाल छिवीलोन
122 (एम. पी.)

ग्रामीण इकाई से ग्रामीण इकाई

(असाध्यारण)

ग्रामीण इकाई से ग्रामीण इकाई

क्रमांक 21] भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 1994—माघ 2, शके 1915

वन विभाग

शोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1994

क्र. एफ-14-146-91-दस-2.—नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया अभ्यारण्य का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-16-75-दस-2, दिनांक 21 मई, 1981 (प्रकाशित "मध्यप्रदेश राजपत्र", दिनांक 12 जून 1981, पृष्ठ क्रमांक 1121) के अनुसार वन्य प्राणी (सरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार "हुक्म" (ग्रेट इंडियन बस्टर्ट) तथां अन्य पशु पक्षियों के लिये अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इस अधिसूचना से "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से अभ्यारण्य नहीं रहेगे :—

अनुसूची

गिसा—रवालियर, तहसील—गिदं (चाटीगांव), वन मंडल—रवालियर, परिषेत्र—गोप रेज़ चाटीगांव

अ. क्र.	अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वन खण्ड का नाम	प्रश्नोद्धरण क्रमांक	उत्तरांक	सीमाये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	मिलेट्री ग्राम तीट, पनिहार		3.900	उत्तर—काटी गई कृत्रिम रेखा।
2	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	404	411.300	
3	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	404	2.925	
4	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	405	43.575	दाखिला—काटी गई कृत्रिम रेखा।
5	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	406	16.220	
6	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	412	9.450	
7	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	413	7.875	पू. — [पलट] ग्राम तीट, पनिहार का, मुनावा क्रमांक 5-प. ग. 6-पक.
8	आरक्षित वनखण्ड, चाटीगांव	414	1.320	

(116)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 1994

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	आरक्षित बनावंड, घाटीगांव	424	1.457	पश्चिम.—लिंजर्व फारेस्ट घाटी गांव के प्रकोष्ठ क्र. 414 के मुतारा क्र. 12-ए से 13 तक.
		कुल	135.121	हेक्टर.

F. No. 14-146-91-X-2.—Sanctuary or a portion of Sanctuary specified in the schedule below which was declared by this department notification No. 15-16-75-X-2, dated the 21st May, 1981 (Published in "Madhya Pradesh Rajpatra" 12th June 1981, Page No. 1121) as per in exercise of the powers conferred by section 18(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) game sanctuary the Act for (Hukma) Great Indian Bustard and other animals and birds in the said sanction shall cease to be Great Indian Bustard Sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Rajpatra".—

SCHEDULE

District—Gwalior, Tehsil—Gird (Ghatigaon), Forest Division—Gwalior, Game Range,—Ghatigaon

S. No.	Name of the Forest Blocks which falls under sanctuary area	Compartment No.	Area in (Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Military Grass Bir, Panihar		3.900	North.—Artificially Cut line.
2	Reserved Forest, Ghatigaon	✓ 403	48.399	South.—Artificially Cut line.
3	Reserved Forest, Ghatigaon	✓ 404	2.925	East.—Pillar No. 5A to 6 of Military Grass Bid.
4	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 405	43.575	West.—Pillar No. 12A to 13 of Compartment No. 414 Ghatigaon Reserved Forest.
5	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 406	16.220	
6	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 412	9.450	
7	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 413	7.875	
8	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 414	1.320	
9	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 424	1.77	
Total . .			135.121	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक मसीह, अतिरिक्त सचिव,

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
 (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
 (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
 आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
 की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
 (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
 (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
 (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
 (3) संसद के अधिनियम,
 (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 186—1991—ब—2—दो.— राज्य शासन,
 श्री अजय कुमार शर्मा, भाषुसे अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध
 संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
 भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018—21 के
 द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 दिसम्बर 2020 से 02 जनवरी
 2021 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19—20
 दिसम्बर 2020 व 03 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ

के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत
 भ्रमण हेतु उत्तर पूर्व राज्य तवांग (अरुणाचल प्रदेश) जाने की
 परियार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10
 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की
 जाती है :—

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. श्री अजय कुमार शर्मा, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मोनिका शर्मा, | — | पत्नी |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय कुमार शर्मा, भाषुसे
 का चालू कार्य श्री जे.पी. परस्तोर, मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपुआ
 एवं अविनि, प्रबंध संचालक द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ
 संपादित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्रमांक 15-39/2005/10-2: राज्य शासन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिसूचना क्रमांक 15-16-75-दस-2 दिनांक 21 मई 1981 (मध्यप्रदेश राजपत्र पत्र दिनांक 12 जून 1981 में प्रकाशित) द्वारा 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य घोषित किया गया था। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-14-146-91-दस-2 दिनांक 21 जनवरी, 1994 द्वारा 1.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक किया गया है।

राज्य शासन एतद्वारा समस्त सक्षम अनुमतियों के उपरांत अधिसूचना दिनांक 21 मई, 1981 में आंशिक संशोधन करते हुये सलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शित 111.73 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक करता है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अभयारण्य नहीं रहेगा। फलस्वरूप सलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार क्षेत्र धाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य का रकबा शेष रहेगा, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

धाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य का संशोधित क्षेत्रफल का विवरण

अभयारण्य का नाम	धाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य
जिला	ग्वालियर
तहसील	ग्वालियर, धाटीगांव
वनमंडल	ग्वालियर सामान्य
वन परिक्षेत्र	गेमरेज तिघरा/धाटीगांव
क्षेत्रफल	आरक्षित वन 306.14 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन 19.84 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र 72.94 वर्ग किलोमीटर
योग	398.92 वर्ग किलोमीटर

अभयारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तर:- आसन नदी से वनखण्ड पिपरझील की उत्तरी सीमा, वनखण्ड कुलैथ की उत्तरी सीमा एवं कक्ष कं. 359, 360 की कृत्रिम सीमा तिघरा जलाशय तक तथा तिघरा-ग्वालियर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग होते हुये वनखण्ड रायपुर के कक्ष क्रमांक 337 की उत्तरी, कक्ष कं. 335, 336 की पश्चिमी सीमा, कक्ष कं. 334 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 328, 329, 331 की उत्तरी सीमा, कक्ष कं. 326, 327 की उत्तरी सीमा।

पूर्व :- वनखण्ड रायपुर के कक्ष कं. 326, 327, 330 की पूर्वी सीमा, ए.बी.रोड से वनखण्ड रायपुर की दक्षिणी सीमा, एम.जी.बी. पवा पावटा की पूर्वी सीमा से होते हुये आगरा-बॉम्बे रोड होते हुए कक्ष क्रमांक 411 तक।

दक्षिण:-आगरा-बॉम्बे रोड से कक्ष कं. 411, 412 की पश्चिमी सीमा, 413, 414, 415, 421 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष कं. 416 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष कं. 417, 418 की दक्षिणी सीमा होते हुये, कक्ष कं. 418 की दक्षिणी, पश्चिमी सीमा होते हुये कक्ष कं. 431, 432, 433 की दक्षिणी सीमा होते हुये डाङाखिडक बस्सोटा मार्ग तक।

पश्चिम:-कक्ष कं. 433 की दक्षिणी सीमा से बस्सोटा मार्ग होते हुये आसन नदी जिला मुरैना की सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव,

परिशिष्ट—1
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य से पृथक किये गये राजस्व भूमि का विवरण

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	गिरवाई	1275.515
2	चक गिरवाई	17.20
3	कोटा लश्कर	34.24
4	बरा	136.525
5	नयागांव	126.307
6	पन्निहार	350.315
7	रायपुर (झाला, कांसेर, आमई आमा)	2370.88
8	बरई	2321.83
9	मालीपुरा	164.05
10	सुजवाया	303.54
11	तिघरा	327.68
12	बिठौली	38.995
13	महाराजपुरा	78.251
14	ओड़पुरा	5.421
15	सौजना	2.532
16	घाटीगांव	601.15
17	धुआ	1073.04
18	जखोदी	153.55
19	खितैरा	525.09
20	बसईकला	475.106
21	समेड़ी (झारा)	600.55
22	कालाखेत	84.6
23	रामपुरा	106.63
योग		11173 हेक्टेयर या 111.73 वर्ग कि.मी.

परिशिष्ट—2
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य के अन्तर्गत शेष रकबा (हेक्टेयर में)

क्र.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	बरई पनिहार	56.656	संरक्षित	P- 401	56.656
2	आमईआमा	85.388	संरक्षित	P-345	85.388
3	राई	1841.972	संरक्षित	P-427	436.337
			संरक्षित	P-426	314.375
			संरक्षित	P-425	322.873
			संरक्षित	P-428	477.342
			संरक्षित	P-429	291.045
			योग संरक्षित वन		1984.016
4	घाटीगांव पार्ट	4337.828	आरक्षित	404	175.064
	—“—		आरक्षित	403	173.284
	—“—		आरक्षित	402	61.605
	—“—		आरक्षित	407	175.758
	—“—		आरक्षित	408	160.395
	—“—		आरक्षित	409	147.537
	—“—		आरक्षित	405	182.066
	—“—		आरक्षित	406	234.013
	—“—		आरक्षित	410	213.518
	—“—		आरक्षित	411	136.338
	—“—		आरक्षित	412	271.530
	—“—		आरक्षित	413	123.631
	—“—		आरक्षित	414	222.995
	—“—		आरक्षित	415	279.559
	—“—		आरक्षित	421	263.139
	—“—		आरक्षित	422	190.095
	—“—		आरक्षित	423	151.641
	—“—		आरक्षित	424	160.757
	—“—		आरक्षित	420	245.677
	—“—		आरक्षित	416	116.720
	—“—		आरक्षित	417	195.287
	—“—		आरक्षित	418	214.091
	—“—		आरक्षित	419	243.128
5	कुलेश पार्ट	5447.084	आरक्षित	359 का भाग	216.221
	—“—		आरक्षित	360 का भाग	222.599
	—“—		आरक्षित	361	242.556
	—“—		आरक्षित	362	136.188
	—“—		आरक्षित	363	258.613
	—“—		आरक्षित	364	309.112
	—“—		आरक्षित	365	188.587
	—“—		आरक्षित	366	219.645
	—“—		आरक्षित	367	248.863
	—“—		आरक्षित	368	151.280

क्र.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	"		आरक्षित	369	178.083
	"		आरक्षित	370	281.493
	"		आरक्षित	371	252.424
	"		आरक्षित	372	358.852
	"		आरक्षित	373	189.401
	"		आरक्षित	374	261.781
	"		आरक्षित	375	105.673
	"		आरक्षित	376	134.075
	"		आरक्षित	377	225.803
	"		आरक्षित	378	180.890
	"		आरक्षित	379	174.521
	"		आरक्षित	380	134.347
	"		आरक्षित	381	183.274
	"		आरक्षित	382	187.771
	"		आरक्षित	383	201.958
	"		आरक्षित	384	203.075
6	रायपुर पार्ट	3494.681	आरक्षित	326	210.169
	"		आरक्षित	327	249.921
	"		आरक्षित	328	288.376
	"		आरक्षित	329	184.482
	"		आरक्षित	330	247.506
	"		आरक्षित	331	177.600
	"		आरक्षित	332	269.663
	"		आरक्षित	333	174.823
	"		आरक्षित	334 का भाग	128.497
	"		आरक्षित	335 का भाग	177.999
	"		आरक्षित	336	161.059
	"		आरक्षित	337	183.205
	"		आरक्षित	338	270.750
	"		आरक्षित	339	226.377
	"		आरक्षित	340	163.836
	"		आरक्षित	341	194.624
	"		आरक्षित	342	139.900
	"		आरक्षित	343 का भाग	45.896
7	झौड़ापुरा	3655.522	आरक्षित	399	228.760
	"		आरक्षित	400	214.212
	"		आरक्षित	395	256.288
	"		आरक्षित	396	199.965
	"		आरक्षित	397	263.775
	"		आरक्षित	398	159.972
	"		आरक्षित	385	248.895
	"		आरक्षित	386	231.717
	"		आरक्षित	387	279.591
	"		आरक्षित	388	240.472

क्र.	बनरखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	"		आरक्षित	389	177.026
	"		आरक्षित	390	202.742
	"		आरक्षित	391	301.685
	"		आरक्षित	392	218.830
	"		आरक्षित	393	169.511
	"		आरक्षित	394	262.081
8	पिपरझील पार्ट	6904.562	आरक्षित	430	196.132
	"		आरक्षित	431	238.992
	"		आरक्षित	432	183.304
	"		आरक्षित	433	210.167
	"		आरक्षित	434	154.475
	"		आरक्षित	435	184.954
	"		आरक्षित	436	153.151
	"		आरक्षित	437	189.189
	"		आरक्षित	438	227.010
	"		आरक्षित	439	211.375
	"		आरक्षित	440	164.802
	"		आरक्षित	441	244.697
	"		आरक्षित	442	224.443
	"		आरक्षित	443	182.580
	"		आरक्षित	444	285.173
	"		आरक्षित	445	218.136
	"		आरक्षित	446	259.578
	"		आरक्षित	447	203.255
	"		आरक्षित	448	213.669
	"		आरक्षित	449	186.564
	"		आरक्षित	450	172.226
	"		आरक्षित	451	193.608
	"		आरक्षित	452	270.142
	"		आरक्षित	453	183.818
	"		आरक्षित	454	167.217
	"		आरक्षित	455	200.056
	"		आरक्षित	456	207.541
	"		आरक्षित	457	290.274
	"		आरक्षित	458	177.509
	"		आरक्षित	459 का भाग	39.251
	"		आरक्षित	460 का भाग	16.995
	"		आरक्षित	463 का भाग	119.533
	"		आरक्षित	464 का भाग	114.008
	"		आरक्षित	465	198.486
	"		आरक्षित	466	213.944

क्र.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	—“—		आरक्षित	467 का भाग	128.504
	—“—		आरक्षित	468 का भाग	38.020
	—“—		आरक्षित	475 का भाग	41.786
9	आर.एफ. एम.जी.बी. रायपुर	2427.873	आरक्षित		2427.873
10	आर.एफ. एम.जी.बी. पवापावडा	4137.834	आरक्षित		4137.834
11	आर.एफ. एम.जी.बी. बरड़ पनिहार	208.737	आरक्षित		208.737
	योग एम.जी.बी.	6774.444			
	योग आरक्षित वन	30614.121			
	राजस्व क्षेत्र	7294.000			
	महायोग	39892.137 हेक्टेयर या 398.92 वर्ग कि.मी.			

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15-39-2005-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-39-2005-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव,

Bhopal dated 16th November 2020

No. 15-39/2005/10-2:: In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government vide Notification no. 15-16-75-X-2 dated 21 may 1981, (Madhya Pradesh gazette dated 12 June 1981) had declared 512 sq. km area as Ghatigaon "Hukna Bird" (Great Indian Bustared) Sanctuary. State Government had excluded 1.35 sq. km area from this Sanctuary vide Notification no. F-14-146-91-X-2 dated 21 January 1994.

After getting all the competent permissions, State Government through partial modification in the Notification dated 21 May 1981 hereby, excludes 111.73 sq. km revenue area from sanctuary which shall cease to be sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the gazette, as mentioned in annexure-I. As a result the remaining area of Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary will be as per annexure-II of this Notification, the details are as follows :-

Details of the modified area of Ghatigaon Hukna Bird sanctury

Name of Sanctuary	Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary
District	Gwalior
Tehsil	Gwalior, Ghatigaon
Forest Division	Gwalior (Territorial)
Forest Range	Game Range Tighra /Ghatigaon
Area	Reserved forest - 306.14 sq.km. Protected forest - 19.84 sq. km. Revenue area - 72.94 sq. km.
Total	398.92 sq.km.

Modified Boundaries of the Sanctuary

North- From Asan river to North boundary of forest block Piperjheel, North boundary of forest block Kulaith and artificial boundary of compatment no. 359, 360 upto Tighra waterbody and North boundary of compt. no. 337 of forest block Raipur, Western boundary of compatment no. 335, 336, Eastern bounadary of compatment no. 334, North boundary of compatment no. 328, 329, 330, 326, 327 runing upto Tighra-Gwalior PWD road.

East -Eastern boundary of compatment no. 326, 327, 330 of forest block Raipur. From Agra-Bombay road to south boundary of forest block Raipur, Eastern boundary of MGB Pawa-Pawta towards A.B. road upto compatment no. 411.

South-From Agra-Bombay road to Western boundary of compatment no. 411, 412, Southern boundary of compatment no. 413, 414, 415, 421 and South boundary of compatment no. 416, southern boundary of compt. no. 417, 418 and Southern and Western boundary of compatment no. 418 and Southern boundary of compatment no. 431, 432, 433 upto Dandakhirak-Basota road.

West -From Southern boundary of compatment no. 433 to basota road upto Asan river of Morena district boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. Mohanta, Secy.

125

annexure-I

Detail of the area of Revenue land excluded from the Ghatigaon Hukna Bird Sanctu

No.	Name of the revenue village	area (in hectare)
1	Girwai	1275.515
2	Chak Girwai	17.20
3	Kota lashkar	34.24
4	Bara	136.525
5	Nayagaon	126.307
6	Panihar	350.315
7	Raipur (Jhala, kanser, Amai Aama)	2370.88
8	Barai	2321.83
9	Malipura	164.05
10	Sujvaya	303.54
11	Tighra	327.68
12	Bitholi	38.995
13	Maharajpura	78.251
14	Odpura	5.421
15	Sojna	2.532
16	Ghatigaon	601.15
17	Dhua	1073.04
18	Jakhodi	153.55
19	Khitaira	525.09
20	Basai kala	475.106
21	Sameri (Jharara)	600.55
22	Kalakhet	84.6
23	Rampura	106.63
Total		11173 ha. 111.73 sq.km.

annexure-II

Remaining area under Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary (in hectare)

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
1	Barai panihar	56.656	Protected	P- 401	56.656
2	amai ama	85.388	Protected	P-345	85.388
3	Rai	1841.972	Protected Protected Protected Protected Protected	P-427 P-426 P-425 P-428 P-429	436.337 314.375 322.873 477.342 291.045
	Total PF	1984.016			

4	Ghatigaon Part	4337.828	Reserved	404	175.064
			Reserved	403	173.284
			Reserved	402	61.605
			Reserved	407	175.758
			Reserved	408	160.395
			Reserved	409	147.537
			Reserved	405	182.066
			Reserved	406	234.013
			Reserved	410	213.518
			Reserved	411	136.338
			Reserved	412	271.530
			Reserved	413	123.631
			Reserved	414	222.995
			Reserved	415	279.559
			Reserved	421	263.139
			Reserved	422	190.095
			Reserved	423	151.641
			Reserved	424	160.757
5	Kulaith Part	5447.084	Reserved	420	245.677
			Reserved	416	116.720
			Reserved	417	195.287
			Reserved	418	214.091
			Reserved	419	243.128
			Reserved	Part of 359	216.221
			Reserved	Part of 360	222.599
			Reserved	361	242.556
			Reserved	362	136.188
			Reserved	363	258.613

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	369	178.083
			Reserved	370	281.493
			Rescrved	371	252.424
			Reserved	372	358.852
			Reserved	373	189.401
			Reserved	374	261.781
			Reserved	375	105.673
			Reserved	376	134.075
			Reserved	377	225.803
			Reserved	378	180.890
			Reserved	379	174.521
			Reserved	380	134.347
			Reserved	381	183.274
			Reserved	382	187.771
			Reserved	383	201.958
			Reserved	384	203.075
6	Raipur part	3494.681	Reserved	326	210.169
			Reserved	327	249.921
			Reserved	328	288.376
			Reserved	329	184.482
			Reserved	330	247.506
			Reserved	331	177.600
			Reserved	332	269.663
			Reserved	333	174.823
			Reserved	Part of 334	128.497
			Reserved	Part of 335	177.999
			Reserved	336	161.059
			Reserved	337	183.205
			Reserved	338	270.750
			Reserved	339	226.377
			Reserved	340	163.836
			Reserved	341	194.624
			Reserved	342	139.900
			Reserved	Part of 343	45.896
7	Dundapura	3655.522	Reserved	399	228.760
			Reserved	400	214.212
			Reserved	395	256.288
			Reserved	396	199.965
			Reserved	397	263.775
			Reserved	398	159.972
			Reserved	385	248.895
			Reserved	386	231.717
			Reserved	387	279.591

No.	Forest block	Notified area	Reseveed/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	388	240.472
			Reserved	389	177.026
			Reserved	390	202.742
			Reserved	391	301.685
			Reserved	392	218.830
			Reserved	393	169.511
			Reserved	394	262.081
8	Piperjheel part	6904.562	Reserved	430	196.132
			Reserved	431	238.992
			Reserved	432	183.304
			Reserved	433	210.167
			Reserved	434	154.475
			Reserved	435	184.954
			Rescrved	436	153.151
			Reserved	437	189.189
			Reserved	438	227.010
			Reserved	439	211.375
			Reserved	440	164.802
			Reserved	441	244.697
			Reserved	442	224.443
			Reserved	443	182.580
			Reserved	444	285.173
			Reserved	445	218.136
			Reserved	446	259.578
			Reserved	447	203.255
			Reserved	448	213.669
			Reserved	449	186.564
			Reserved	450	172.226
			Reserved	451	193.608
			Reserved	452	270.142
			Reserved	453	183.818
			Reserved	454	167.217
			Reserved	455	200.056
			Reserved	456	207.541
			Reserved	457	290.274
			Reserved	458	177.509
			Reserved	Part of 459	39.251
			Reserved	Part of 460	16.995
			Reserved	Part of 463	119.533
			Reserved	Part of 464	114.008

(129)

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	465	198.486
			Reserved	466	213.944
			Reserved	Part of 467	128.504
			Reserved	Part of 468	38.020
			Reserved	Part of 475	41.786
9	MGB RF Raipur	2427.873	Reserved		2427.873
10	MGB RF Pawa pawta	4137.834	Reserved		4137.834
11	MGB RF Barai panihar	208.737	Reserved		208.737
	Total MGB	6774.444			
	Total RF	30614.121			
	Revenue area	7294.000			
	Grand Total	39892.137 ha. or 398.92 sq.km			

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्रमांक/एफ 15-11/2018/10-2 :: मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है :-

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाये
1.	अनुपपूर	कोतमा	पाठबाबा	आरक्षित वन-423	411.83	पूर्व— ग्राम चपानी पश्चिम— ग्राम भोड़कछार उत्तर— ग्राम भेड़रीतलैया दक्षिण— ग्राम लेदरा
2.	देवास	सतवास	किटी रेस्ट हाऊस	आरक्षित वन-360	10.00	पूर्व— इंदिरा सागर झूल क्षेत्र एवं नर्मदा नदी पश्चिम— पुनरास्थापित ग्राम किटी उत्तर— जमोली नाला दक्षिण— इंदिरा सागर झूलक्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15-11-2018-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11-2018-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव,

Bhopal dated 16th November 2020

No./F 15-11/2018/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Anoopur	Kotma	Pathbaba	Reserve Forest-423	411.83	East-Village Chapani West- Village Bhodakchar North- Village Bhedaritalaiya South- Village Ledra
2.	Dewas	Satvas	Kiti Rest house	Reserve Forest-360	10.00	East- Submerge area Indirasagar and Narmada River West-Rehabilitated village Kiti North- Jamoli Nala South-Submerge area Indirasagar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. Mohanta, Secy.